



## झारखण्ड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग



ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा  
जल संयोजन दिए जाने हेतु  
**मार्गदर्शिका**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग







झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

द्वारा

जल संयोजन दिए जाने

हेतु

मार्गदर्शिका



## ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा जल संयोग से संबंधित मार्गदर्शिका

- पृष्ठभूमि** – पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक ग्रा. स्व. जल प्रं. – 50/09-268/SWSM दिनांक 13.04.10 द्वारा संसूचित संकल्प के द्वारा राज्य के प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति गठन का निर्देश निर्गत है। इसके अनुसार हर गाँव की समिति का गठन किया गया है/किया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 1082 दिनांक 19.03.2010 एवं 173/10-57/SWSM दिनांक 22.01.2011 के द्वारा प्रत्येक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के लिए एक जल सहिया के चयन का निर्देश है। जल सहिया उस समिति के कोषाध्यक्ष हैं। यह मार्गदर्शिका उन ग्राम जल स्वच्छता समितियों के लिए प्रभावी होगी, जहाँ ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा किया जा रहा है।

### 2. जल संयोजन राशि एवं जलकर निर्धारण

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4/राज. 101/2010-2017/दिनांक 29.04.11 (अनुसूची-1) के द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए जल संयोजन दर एवं जलकर निर्धारित है, जो निम्न प्रकार से है-

क्र. सं.	संयोजन	संयोजन दर रु./संयोजन	निर्धारित जलकर रु. प्रति गृह संयोजन/माह
1	घरेलू जल संयोजन	310	62
2	व्यावसायिक संयोजन	931	186

इसके अतिरिक्त बाहरी क्षेत्र से सटे ग्रामीण क्षेत्र एवं Census Town के लिए झारखण्ड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ज्ञापांक संख्या 4/राज.-101/2010-4297/दिनांक 13.10.12 (अनुसूची-2) के द्वारा बाहरी क्षेत्र के लिए अधिसूचित दर के अनुरूप जल संयोजन एवं जल शुल्क लागू किया गया है। जो निम्न प्रकार से है -

#### (क) क्षेत्रफल के आधार पर (जहाँ वाटर मीटर नहीं लगा हो) :-

निर्मित क्षेत्र के प्रकार	जल संयोजन शुल्क	वर्तमान जल शुल्क	अभ्युक्ति
1	2	3	4
निजी घरेलू क्षेत्र	रु. 1000/-	रु. 150/- प्रतिमाह	संस्थागत अर्थात स्कूल कॉलेज। सरकारी अर्थात सरकारी भवन एवं आवास। वाणिज्यिक तथा सभी वाणिज्यिक परिसर।
संस्थागत/सरकारी /वाणिज्यिक	रु. 1500/-	रु. 400/- प्रतिमाह	

**(ख) जल खपत के आधार पर (जहाँ वाटर मीटर लगा हो) :-**

निर्मित क्षेत्र के प्रकार	जल संयोजन शुल्क	वर्तमान जल शुल्क	अभ्युक्ति
1	2	3	4
घरेलू (एकांकी एवं बहुमंजिली) क्षेत्र	रु. 1500/-	रु. 5.00 प्रति कि. ली.	संस्थागत अर्थात् स्कूल कॉलेज। सरकारी अर्थात् सरकारी भवन एवं आवास। वाणिज्यिक तथा सभी वाणिज्यिक परिसर।
संस्थागत/सरकारी/वाणिज्यिक	रु. 2000/-	रु. 7.500 प्रति कि. ली.	

इसके अतिरिक्त हस्त चलित ड्रीलड नलकूप, स्टैंड पोस्ट एवं मैट्स की मरम्मत एवं सम्पोषण हेतु, इससे जलापूर्ति प्राप्त करने वाले परिवारों से जल कर की राशि के निर्धारण व वसूली प्राप्त करने का अधिकार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एवं ग्राम पंचायत को दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जो निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	विवरण	पेयजल शुल्क प्रति परिवार प्रतिमाह
1	स्टैंड पोस्ट/मैट्स से जलापूर्ति	5 रुपया
2	हैण्ड पम्प से जलापूर्ति	5 रुपया

**3. नलकार (प्लम्बर) का निबंधन**

समिति अपने गाँव में नल संयोग, जल संयोजन एवं पाइप लाइन की मरम्मत हेतु प्रत्येक गाँव के लिए नलकार (प्लम्बर) को न्यूनतम एक वर्ष के लिए निबंधित करेगी। इसके निबंधन की न्यूनतम योग्यता अनुसूची-3 में अंकित है। ग्राम जल स्वच्छता समिति अपने बैठक में निर्णय लेकर इसमें अपने गाँव के सुविधानुसार संशोधन कर सकती है।

4. नलकार के निबंधन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बैठक कर निबंधन शुल्क निर्धारित करेगी जो प्रतिवर्ष के लिए 200/- रुपए से कम नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष नलकार (प्लम्बर) के निबंधन का नवीनीकरण निबंधन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व करेगी। निबंधन के नवीनीकरण के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बैठक कर नवीकरण शुल्क निर्धारित करेगी जो न्यूनतम 50/- रुपए से कम नहीं होगा।

**5. नलकार (प्लम्बर) निबंधन संख्या एवं पहचान पत्र**

(क) प्रत्येक निबंधित नलकार को एक निबंधन संख्या निर्गत किया जाएगा जो निम्न प्रकार होगा :-

जिला कोड/प्रखंड कोड/पंचायत कोड/VWSC कोड/प्लम्बर निबंधन संख्या

वैधता अवधि - ..... से ..... तक।

(ख) समिति निबंधित नलकार (प्लम्बर) को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत कर सकती है जिसका नमूना अनुसूची-4 के रूप में अंकित है।

6. नलकार (प्लम्बर) के निबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एक विज्ञापन प्रखंड कार्यालय, पंचायत भवन, विद्यालय एवं ग्राम के प्रमुख स्थलों पर जारी करेगी जिसका नमूना अनुसूची - 5 के रूप में संलग्न है।
7. नलकार (प्लम्बर) के लिए आवेदन प्राप्त करने का नमूना प्रपत्र अनुसूची - 6 पर अंकित है। इस नमूने प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर ग्राम जल स्वच्छता समिति बैठक में विचार कर आवश्यक संख्या में नलकार (प्लम्बर) का निबंधन करेगी।
- 8. नलकार (प्लम्बर) निबंधन पंजी**  
प्रत्येक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति 24 पृष्ठों के नलकार (प्लम्बर) निबंधन पंजी का संधारण करेगी जिसका नमूना अनुसूची-7 के रूप में संलग्न है।
9. ग्राम जल स्वच्छता समिति औसत 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के दर से अपने गृह जल संयोग प्राप्त उपभोक्ता को तथा स्टैंड पोस्ट तथा मैट्स से जलापूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता के लिए प्रति व्यक्ति 40 लीटर प्रति दिन जलापूर्ति का प्रबंध करेगी। इस सीमा को समिति बैठक में निर्णय कर आवश्यकतानुसार बढ़ा सकती है।
10. यदि समिति को ऐसा प्रतीत हो कि कोई उपभोक्ता पेयजल का दुरुपयोग कर रहा है, तो समिति ऐसे जल संयोग को बन्द करने का निर्देश 15/7 दिनों की पूर्व सूचना देकर कर सकती है अथवा उपभोक्ता को विभाग द्वारा अनुमोदित मानक स्तर का वाटर मीटर लगाने का निर्देश दे सकती है। मीटर के माध्यम से जलापूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता के लिए समिति प्रति हजार लीटर का दर बैठक में विचार कर निर्धारित करेगी। यह दर प्रति माह 10 हजार लीटर तक जल खपत करने वाले उपभोक्ता के लिए न्यूनतम दर के अनुरूप प्रति हजार लीटर 6.29 रु. के दर से निर्धारित करते हुए न्यूनतम मासिक दर, 62 रु. प्रति माह निर्धारित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जल खपत के लिए प्रति अगले 10 हजार लीटर के लिए दो गुणा दर निर्धारित कर सकती है, इसी प्रकार प्रति माह 20 हजार लीटर से अधिक खपत के लिए मूल दर से तीन गुणा दर निर्धारित कर सकती है। इस विषय में समिति अपने बैठक में निर्णय कर अग्रतर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना समय-समय पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएगी।
11. सरकार द्वारा निर्धारित जल संयोग शुल्क राशि न्यूनतम है जिसे बैठक में निर्णय कर बढ़ाया जा सकता है। यह राशि सभी उपभोक्ता द्वारा जल संयोग के करारनामा/अनुबंध के समय देय होगा।
12. अस्थायी जल संयोग की स्थिति में जल संयोग अवधि एवं वांछित जल की मात्रा के अनुसार समिति जलकर शुल्क, जल संयोग शुल्क एवं जल संयोग विच्छेद शुल्क एक साथ तय करने एवं उसे समयानुसार वसूल करने हेतु समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
13. घरेलू जल संयोग प्राप्त करने हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को आवेदक द्वारा दिए जाने वाले आवेदन पत्र का प्रपत्र ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदित होगा। आवेदन पत्र का नमूना अनुसूची-8 के रूप में संलग्न है। इस आवेदन पत्र के साथ एक रेखा चित्र यथासंभव ट्रेसिंग कपड़े पर 3 प्रतियों में संलग्न रहेगा, जिसका नमूना आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न है।



14. आवेदन के साथ आवेदक जल संयोजन शुल्क भी जमा करेंगे जिसकी रसीद अनुमोदित प्रपत्र में ग्राम जल सहिया निर्गत करेंगी। इसका नमूना अनुसूची-9 पर संलग्न है। रसीद बही 100 पृष्ठों के बुकलेट के रूप में हो तथा सभी पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या मशीन से अंकित हो। इसे दो प्रतियों में तैयार कर संधारित किया जाएगा, जिसकी कार्बन कॉपी समिति के कार्यालय की प्रति होगी। मूलप्रति आवेदक को दिया जाएगा।
15. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के जल सहिया द्वारा जल संयोग हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर निम्नलिखित निर्मित क्षे. के अनुरूप फेरुल का व्यास अंकित कर जल संयोग की स्वीकृति हेतु मुखिया सह अध्यक्ष ग्राम जल स्वच्छता समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
16. तत्पश्चात ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति आवेदनों पर बैठक में विचार कर जल संयोग की स्वीकृति देने के संबंध में निर्णय लेगी। जल संयोग की स्वीकृति के उपरांत, उपभोक्ता को दिए जाने वाली सूचना एवं अनुबंध निष्पादन हेतु अनुरोध पत्र का नमूना अनुसूची-10 पर संलग्न है।
17. उपभोक्ता एवं ग्राम जल स्वच्छता समिति के बीच एक अनुबंध (विहित प्रपत्र अनुसूची-12 के रूप में संलग्न) प्राप्त किया जायेगा। अनुबंध की स्थिति में समिति की ओर से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा जल सहिया की उपस्थिति में अनुबंध हस्ताक्षर किया जा सकता है। दोनों पत्र के ओर से दो-दो गवाह रखे जा सकते हैं।
18. अनुबंध निष्पादन/शपथ पत्र प्राप्ति के उपरांत ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से उपभोक्ता को जल संयोग हेतु पत्र निर्गत किया जाएगा जिसका नमूना अनुसूची-13 के रूप में संलग्न है।
19. इसी प्रकार व्यावसायिक एवं अस्थायी जलसंयोग हेतु प्राप्त किए जाने वाले आवेदन पत्र का नमूना अनुसूची-14 एवं 15 के रूप में संलग्न है। इसका निष्पादन भी कंडिया 13 से 18 के प्रावधान के अनुसार समिति द्वारा किया जाएगा।
20. ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा जल संयोग पंजी का संधारण किया जाएगा जिसका नमूना अनुसूची-16 के रूप में संलग्न है।
21. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की ओर से मुखिया/जल सहिया के हस्ताक्षर से जल की मांग के लिए उपभोक्ताओं को मासिक विपत्र निर्गत किया जाएगा जिसका प्रपत्र अनुसूची-17 पर संलग्न है।
22. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जल उपभोक्ता खाता (Water Consumer Ledger) संधारित किया जाएगा जिसके हरेक उपभोक्ता के लिए 1 या 2 पृष्ठ रखे जा सकते हैं, इनसे प्राप्त मासिक जलकर की मांग एवं वसूली का विवरण अंकित रहेगा। इसके प्रपत्र का नमूना अनुसूची-18 पर अंकित है। खाता का आकार ऐसा हो कि यह दीर्घ काल तक उपयोगी रहे। अधिक उपभोक्ता होने की स्थिति में 1 से अधिक खाता संधारित किया जा सकता है।
23. ग्राम जल स्वच्छता समिति प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के जल कर राशि भुगतान करने की तिथि निर्धारण कर सकती है। इस तिथि तक जल कर भुगतान नहीं करने वाले को जल कर की बकाया राशि का 10% तक विलम्ब शुल्क एवं इसके भुगतान की तिथि समिति निर्धारित कर सकती है।



24. ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा तक जल कर की राशि का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का जल संयोग समिति बन्द करने का निर्देश 15/7 दिनों की पूर्व सूचना देकर कर निबंधित प्लम्बर के माध्यम से विच्छेद कर सकती है।
25. जल संयोग विच्छेद करने के बाद यदि उपभोक्ता द्वारा बकाये का भुगतान कर दिया जाता है तो उपभोक्ता के जल संयोग का पुनः संयोग दण्ड शुल्क प्राप्त कर दिया जा सकता है। परन्तु इसके साथ जल संयोग विच्छेद एवं पुनः जल संयोग किए जाने का शुल्क 500 रुपए तक वसूल किया जा सकता है। इस राशि का निर्णय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में किया जा सकता है।
26. विद्युत आपूर्ति या पाइप लाइन में गड़बड़ी या कोई ऐसी समस्या जो, समिति के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण यदि लम्बी अवधि तक योजना से जलापूर्ति बन्द रहती है, तो ऐसी स्थिति में समिति बैठक में निर्णय लेकर इतनी अवधि के लिए जल कर वसूली को स्थगित कर सकती है परन्तु इस बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
27. अनुबंध के शर्तों के अनुसार जल संबंध विच्छेद करने के लिए उपभोक्ता को पत्र निर्गत की तिथि से 15/7 दिनों की पूर्व सूचना दी जाएगी जिसका निर्णय समिति की बैठक में लिया जाएगा। जल संबंध विच्छेद के लिए दिए जाने वाले पूर्व सूचना के पत्र का प्रारूप अनुसूची-19 पर संलग्न है।
28. प्रत्येक पंजी/रसीद बही को मुखिया सह अध्यक्ष के द्वारा पृष्ठ संख्या को विधिवत प्रमाणित कर निर्गत किया जाएगा जो उन से हस्ताक्षरित रहेगा एवं मुहर भी लगा रहेगा।

## संकल्प

पत्र संख्या - 4/राज. - 101/2010-2117/राँची, दिनांक-29/4/11

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संकल्प संख्या 4374 दिनांक 22.10.2005 द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं द्वारा की जा रही जलापूर्ति के लिए जल कर दर का निर्धारण किया गया था।

जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं सम्पोषण मद में बढ़े हुए खर्च के आलोक में उक्त जल कर दर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत जल कर दर निम्नवत् निर्धारित किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है :-

क्र. सं.	संयोजन	संयोजन दर (रु./संयोजन)	निर्धारित जल दर (रु. प्रति गृह संयोजन/माह)
1	2	3	4
1	घरेलू जल संयोजन	310.00 (तीन सौ दस रुपए)	62.00 (बासठ रुपए)
2	व्यावसायिक संयोजन	931.00 (नौ सौ इकतीस रुपए)	186.00 (एक सौ छियासी रुपए)

- पुनरीक्षित जल कर दर दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी माना जाएगा।
- जल उपभोक्ता समिति के लिए भी उक्त दर लागू रहेगी। समिति आवश्यकतानुसार उक्त दरें बढ़ा भी सकती है।
- इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश एतद् द्वारा संशोधित समझा जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

  
(सुधीर प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 2117 /राँची, दिनांक- 29/4/11

प्रतिलिपि- अधीक्षण राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड राजपत्र के दो लगातार अंकों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(सुधीर प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 2117 /राँची, दिनांक- 29/4/11

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता (मु.)/मुख्य अभियंता (सी.डी.ओ.)/मुख्य अभियंता (पी.एम.यू.)/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

- संबंधित कार्यपालक अभियंता पुनरीक्षित दर से जलकर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा चौमाही जल कर वसूली प्रतिवेदन नियमित रूप से मुख्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

  
(सुधीर प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

**झारखण्ड सरकार**  
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

ज्ञापांक:-4/राज.-101/2010/4297 राँची, दिनांक :- 13/10/11

सेवा में,

**सभी अधीक्षण अभियंता**  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,  
झारखण्ड।

**विषय :-** शहरी क्षेत्र से सटे ग्रामीण क्षेत्रों एवं Census Town में शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित जल शुल्क के अनुसार वसूली के संबंध में।

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि Census Town (सूची संलग्न) एवं राज्य अंतर्गत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र से सटे हैं एवं उक्त ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों का अभ्यास, जीवन शैली एवं जल खपत मात्रा, शहरी क्षेत्र के ही समान है, में शहरी क्षेत्र के लिए अधिसूचित दर से जल संयोजन एवं जल शुल्क लागू किया जाए तथा तदनुसार वसूली सुनिश्चित की जाए। जल शुल्क की संरचना निम्नरूपेण है।

(क) क्षेत्रफल के आधार पर (जहाँ वाटर मीटर नहीं लगा हो) :-

निर्मित क्षेत्र के प्रकार	जल संयोजन शुल्क	वर्तमान जल शुल्क	अभ्युक्ति
1	2	3	4
निजी घरेलू क्षेत्र	रु. 1000/-	रु. 150/- प्रतिमाह	संस्थागत अर्थात् स्कूल कॉलेज। सरकारी अर्थात् सरकारी भवन एवं आवास। वाणिज्यिक तथा सभी वाणिज्यिक परिसर।
संस्थागत/सरकारी /वाणिज्यिक	रु. 1500/-	रु. 400/- प्रतिमाह	

(ख) जल खपत के आधार पर (जहाँ वाटर मीटर लगा हो) :-


निर्मित क्षेत्र के प्रकार	जल संयोजन शुल्क	वर्तमान जल शुल्क	अभ्युक्ति
1	2	3	4
घरेलू (एकांकी एवं बहुमंजिली) क्षेत्र	रु. 1500/-	रु. 5.00 प्रति कि. ली.	संस्थागत अर्थात् स्कूल कॉलेज। सरकारी अर्थात् सरकारी भवन एवं आवास। वाणिज्यिक तथा सभी वाणिज्यिक परिसर।
संस्थागत/सरकारी /वाणिज्यिक	रु. 2000/-	रु. 7.500 प्रति कि. ली	

उपरोक्त के साथ अधोलिखित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

1. शहरी क्षेत्र से सटे अन्य ग्राम जहाँ का जीवन स्तर काफी उन्नत है, के VWSC भी उपर्युक्त दरों को, समिति से पारित करा कर लागू कर सकते हैं।
2. वाटर मीटर के क्रय एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत का व्यय भार उपभोक्ता को वहन करना है।
3. उपर्युक्त जल संयोजन एवं जल शुल्क नगर विकास विभाग की अधिसूचना सं. 1624 दिनांक 31.05.2006 के आधार पर निर्धारित है।

4. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित जलापूर्ति योजना से सटे शहरी क्षेत्र आच्छादित होने की स्थिति में उपर्युक्त दर लागू रहेगा।
5. वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो शहर से सटे हैं, जिनके पास अपना जलापूर्ति का साधन नहीं है, वहाँ VWSC नगर निकाय से पानी लेगा एवं उसे अपने क्षेत्र में वितरित करेगा। शहरी निकाय को उसके बिल का भुगतान VWSC करेगा। सीमा पर आवश्यकतानुसार Bulk meter लगेगा। Bulk meter विभाग की राशि से दी जाएगी।
6. वाटर मीटर के क्रय एवं आवश्यकतानुसार मरम्मत का व्यय भार उपभोक्ता को वहन करना है।
7. VWSC द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाओं में जलकर के वसूलीकर्ता (जल सहिया सहित) को कुल वसूली का 10% अथवा समिति द्वारा निर्धारित राशि दी जा सकती है।
8. जलकर वसूली की राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जाएगा एवं वसूलीकर्ता द्वारा वसूली गई राशि समिति के खाते में जमा करने के उपरांत ही मासिक अथवा समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दी जाएगी।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

  
(शरदेन्दु नारायण)  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 4297

राँची, दिनांक :- 13/10/12


प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
उनको निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र की प्रति संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति को उपलब्ध कराएंगे।

  
(शरदेन्दु नारायण)  
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :- 4297

राँची, दिनांक :- 13/10/12

प्रतिलिपि :- सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(शरदेन्दु नारायण)  
अभियंता प्रमुख  
13/10/12



## अनुसूची - 4

इस परिचय-पत्र को हमेशा अपने साथ रखें।

नलकार (प्लम्बर) का  
फोटो चिपकाया जाए।

मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

ग्राम ..... पंचायत ..... प्रखंड ..... जिला .....

नलकार (प्लम्बर) परिचय पत्र

नाम .....

निबंधन संख्या .....

पता .....

जन्म तिथि .....

निबंधन की तिथि .....

वैधता अवधि ..... से ..... तक  
Mob No. ....

नियोजन कार्यालय .....

तिथि ..... निबंधित प्लम्बर का हस्ताक्षर

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति .....

पंचायत -

प्रखंड -

जिला -

पिनकोड -

**नलकार (प्लम्बर) निबंधन हेतु विज्ञापन सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि

गाँव - पंचायत - प्रखंड - जिला - में नल योजन, जल संयोग, एवं पाइप लाइन मरम्मत हेतु ..... अदद नलकार (प्लम्बर) को निबंधन किया जाना है। इससे संबंधित अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार से हैं :-

1. आवेदकों को झारखण्ड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता वर्ग 7 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मैट्रिक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. नलकार (प्लम्बर) ट्रेड से आई.टी.आई उत्तीर्ण आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. प्लम्बर को नल योजन/नल संयोजन/प्लम्बरिंग कार्य का अनुभव होना चाहिए।
5. आवेदक की उम्र 25 वर्ष से अधिक तथा सामान्य रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक/महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
7. आवेदक के पास नल योजन/जल संयोजन के औजारों की उपलब्धता होनी चाहिए।
8. आवेदक को अवैध जल संयोजन करने के लिए पूर्व में कभी दण्डित नहीं किया गया हो।
9. चयनित नलकारों को (प्लम्बरों को) 200 रुपए का निबंधन शुल्क देना होगा जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन, जिसका नमूना ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के जल सहिया श्रीमति ..... मो. न. .... के पास उपलब्ध है, से प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हीं के पास अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

आवेदन देने की अंतिम तिथि ..... है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जल सहिया

**मुखिया सह अध्यक्ष**  
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

## अनुसूची - 6

### ग्राम जल स्वच्छता समिति में नलकार (प्लम्बर) के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

1. ग्राम जल स्वच्छता समिति का नाम:-
2. पंचायत का नाम:-
3. प्रखण्ड का नाम:-
4. जिला का नाम:-

हाल की खिंची हुई  
फोटो चिपकाएँ

(क) आवेदक का विवरण एवं वर्तमान पता:-

आवेदक का नाम:-

पिता/पति का नाम:-

गाँव:-

टोला:-

डाकघर:-

थाना:-

जिला:-

मोबाईल नं.-

(ख) आवेदक की जन्मतिथि -

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/अल्पसंख्यक हैं तो इसका उल्लेख करें

(घ) आवेदक की योग्यता का विवरण:-

(i) शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति स्व अभिप्रमाणित संलग्न करें)

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत
1				
2				

(ii) व्यावसायिक योग्यता:- (प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति स्व अभिप्रमाणित संलग्न करें)

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत
1				
2				

(iii) आवेदक का अनुभव

कितने वर्षों से प्लंबिंग का कार्य कर रहे हैं? -

(अनुभव प्रमाण पत्र है तो संलग्न करें)

(iv) औजारों की उपलब्धता:-

1. रिचेट एवं ड्रील बिट -
2. पाइप रेंच -

3. कुदाल -
4. गैंता -
5. हथौड़ी -
6. चेन रेंच -
7. डी.ई स्पैनर सेट -
8. स्कू ड्राइवर -
9. कटिंग प्लायर -
10. हेक्सा फ्रेम -
11. छेनी -
12. एडजस्टिबल रेंच -
13. पाइप डाई सेट

नोट:- आवेदक मतदाता पहचान पत्र/अन्य पहचान अभिलेख की छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित संलग्न करें

### **आवेदक का घोषणा पत्र**

मैं घोषित करता हूँ :-

1. मुझे प्लम्बिंग कार्य का पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव है।
2. मैं पाइप लाइन मरम्मत/नया जल संयोग देने/नई पाइप लाइन लगाने का कार्य भली-भाँति कर सकता हूँ।
3. मुझे पूर्व में कभी अवैध जल संयोग या जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधित कार्य में किसी गड़बड़ी के लिए दंडित नहीं किया गया है।
4. आवेदन पत्र में वर्णित तथ्य सही हैं।

**आवेदक का हस्ताक्षर**



ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

गाँव

थाना

पंचायत

प्रखण्ड

पृष्ठ सं.

नलकार (प्लम्बर) निबंधन पंजी

निबंधन संख्या -

नलकार का विवरण								निबंधन वैधता अवधि		फोटोग्राफ	मुखिया सह अध्यक्ष VWSC का हस्ताक्षर
नलकार (प्लम्बर) क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता	प्रखंड	डाकघर	जिला	मो. नं.	से	तक		

घरलू जल संयोजन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

ग्रामीण जलापूर्ति योजना का नाम:-

ग्राम जल स्वच्छता समिति का नाम:-

पंचायत -

जिला -

प्रखण्ड -

पिन कोड -

आवेदक  
फोटोग्राफ  
चिपकाएं

(क) आवेदक का विवरण :-

आवेदक का नाम:-

पति/पिता का नाम :-

निवास स्थान का पता:-

गाँव -

टोला -डाकघर -

थाना -

जिला -

मोबाईल नं.

फोन नं. -

ईमेल आई.डी., यदि हो:-

(आवेदक मतदाता पहचान पत्र या पहचान से संबंधित अन्य अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करें)

(ख) जिस स्थान पर जल संयोजन लिया जाना है, उसका विवरण:-

प्लॉट संख्या -

खाता संख्या -राजस्व गाँव -

थाना संख्या -

टोला -पंचायत -

प्रखण्ड -

डाकघर - जिला - पिन कोड -

(ग) जल संयोजन लिए जाने वाले स्थल पर निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या -

(घ) प्रस्तावित जल संयोजन लिए जाने वाले स्थल के स्वामित्व का विवरण :-

(स्वामित्व प्रमाणित करने वाले अभिलेख की स्व. अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

(ङ) आवेदक के परिसर में जलापूर्ति के लिए लगाए गए पाइप लाइन एवं जल संयोग करने वाले निबंधित नलकार (प्लम्बर) का नाम एवं पता -

(च) जल संयोग के परिसर एवं पाइप लाइन का मानचित्र (जहाँ तक संभव हो यह ट्रेसिंग क्लॉथ पर हो) नमूने के अनुसार 3 प्रति में संलग्न करें।

मैं घोषित करता हूँ कि आवेदन में दी गयी सूचनाएँ सत्य हैं एवं समिति द्वारा निर्धारित करारनामा की शर्तें मुझे मान्य हैं।

(आवेदक का हस्ताक्षर)

## घरेलू जल संयोग हेतु मानचित्र का नमूना

आवेदक का नाम प्लॉट संख्या पंचायत	पिता का नाम खाता संख्या में घरेलू जल संयोजन	गाँव	थाना नम्बर
--	---	------	------------

यहाँ ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पाइप लाइन का व्यास लिखें

यहाँ फेरुल का आकार लिखें

पथ का नाम

(यहाँ निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल अंकित करें)

नल

यहाँ पथ का नाम लिखें

नक्शा बिना पैमाने का

उ.

द.

प.

पू.

यहाँ जल संयोग लेने वाले पाइप का व्यास एवं लम्बाई लिखें

लाल रंग में दिखलाएं

निबंधित नलकार (प्लम्बर) का हस्ताक्षर  
 निबंधन संख्या -  
 वैधता अवधि

आवेदक का हस्ताक्षर

ग्राम जल स्वच्छता समिति .....

पंचायत .....

प्रखण्ड .....

जिला .....

नकद प्राप्ति रसीद

रसीद संख्या

दिनांक .....

सुश्री/श्रीमती/श्री ..... पति/पिता .....

निवासी ग्राम ..... डाकघर ..... पंचायत .....

उपभोक्ता संख्या:-

से निम्नांकित मद में उनके नाम के सामने अंकित राशि प्राप्त किया:-

विवरण	राशि
जल संयोजन शुल्क	
घरेलू जल कर माह ..... से ..... तक	
व्यावसायिक जल कर ..... से ..... तक	
हैण्डपम्प जल कर ..... से ..... तक	
स्टैंड पोस्ट जल कर ..... से ..... तक	
नलकार निबंधन/नवीनीकरण शुल्क ..... से ..... तक	
अन्य मद	
कुल	

रकम शब्दों में रु ..... मात्र

(ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मोहर)

(जल सहिया का हस्ताक्षर)



ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा जल संयोग स्वीकृति एवं  
अनुबंध निष्पादन हेतु दिए जाने वाले पत्र

ग्राम जल स्वच्छता समिति .....

पंचायत डाकघर जिला पिनकोड  
पत्रांक ..... दिनांक .....

सेवा में,

सुश्री/श्रीमती/श्री ..... पति/पिता श्री .....

गाँव ..... पंचायत ..... डाकघर ..... जिला .....

विषय:- जल संयोग की स्वीकृति।

महोदय/महोदया,

..... ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से जल संयोग स्वीकृति हेतु उनके आवेदन पत्र पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ने विचार कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उनकी उपभोक्ता संख्या:- (जिला कोड)/प्रखण्ड कोड/पंचायत कोड/ग्राम कोड/वर्ष/संख्या है।

उनसे आग्रह है कि विहित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करें ताकि जल संयोग हेतु आदेश निर्गत किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(जल सहिया का हस्ताक्षर)

(मुखिया-सह-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)

## ग्राम जल स्वच्छता समिति

गाँव -                      थाना नं. -                      पंचायत -                      प्रखण्ड -  
जिला -                      पिन कोड -

### घरेलू/व्यावसायिक/संस्थागत/अस्थायी जल संयोजन हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को ग्राम जल स्वच्छता समिति गाँव ..... पंचायत ..... प्रखण्ड ..... जिला ..... पिनकोड ..... जिसे आगे VWSC ..... (यहाँ गाँव का नाम लिखें) के रूप में प्रसंगित किया जाएगा, की ओर से (जिसे प्रथम पक्ष माना जाएगा) एवं ..... (नाम एवं पता) जिसे उपभोक्ता के रूप में प्रसंगित किया जायेगा, जब तक कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्हें विमुक्त नहीं किया जाता है, उनके वारिस, विधि द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि एवं स्वीकृति प्रतिनिधि के रूप में दूसरे पक्ष की ओर से शामिल रहेंगे, के बीच सम्पन्न हुआ।

यह कि नीचे अंकित शर्तों एवं परिस्थिति के अनुसार VWSC ने जलापूर्ति के लिये स्वीकृति दी है और उपभोक्ता ने अपने परिसर में जलापूर्ति लेने के लिये सहमति दी है। अभी दोनों पक्षों के बीच निम्नलिखित शब्दों पर सहमति हुई है:-

- यह कि VWSC उपभोक्ता को उनके परिसर में जलापूर्ति वितरण पाइप से संयोग की तिथि से और अनुबंध के अवधि में जलापूर्ति प्रदान करेगी और उपभोक्ता इसे स्वीकार करेंगे।
- VWSC के द्वारा जलापूर्ति स्वीकृत किये जाने की सूचना के 15 दिनों के अंदर उपभोक्ता द्वारा जल संयोजन प्राप्त करना होगा अन्यथा उपभोक्ता को मासिक जल कर देय होगा।
- VWSC पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा अनुमोदित गुणवत्ता के GI Pipe, meter, fitting फेरूल एवं पीतल के Fitting को लगाया जायगा। वितरण प्रणाली के पाइप से अपने परिसर तक पाइप लाइन के बिछाने की व्यवस्था उपभोक्ता को स्वयं करना पड़ेगा।
- यदि उपभोक्ता अनुबंध के अनुसार जल कर का भुगतान विपत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के भीतर करने में असमर्थ रहता है तो अगले दो सप्ताह की सूचना के उपरांत उपभोक्ता जल संयोग विच्छेद किए जाने के अधिकारी होंगे।
- दण्ड शुल्क सहित बकाये के पूरे भुगतान प्राप्त होने एवं जल संयोग विच्छेद एवं पुनर्संयोग में होने वाले व्यय राशि जो VWSC द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा का भुगतान होने पर जल संयोग पुनः बहाल किया जायेगा।
- उपभोक्ता किसी भी परिस्थिति में पाइप लाइन में मोटर पम्प नहीं लगाएंगे। जलापूर्ति पम्प में या छत के ऊपर पानी टंकी में अथवा सीधे नल से प्राप्त की जा सकती है।

- vii. यदि उपभोक्ता आपूर्ति किये गये पानी का उपयोग इस प्रकार करेंगे कि किसी व्यक्ति को कारगर जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो अथवा गैर घरेलू उपयोग में लाएंगे अथवा पानी अपने परिसर से बाहर भेजेंगे तो VWSC आपूर्ति को बंद कर सकती है।
- viii. यदि उपभोक्ता के यहाँ जल संयोग पाइप क्षतिग्रस्त हो तो उपभोक्ता उसे तीन दिनों में ठीक कराएंगे अन्यथा VWSC के द्वारा जल संयोजन विच्छेद कर दिया जाएगा।
- ix. किसी भी समय शुल्क में परिवर्तन एवं जलापूर्ति की राशि को बढ़ाने-घटाने के लिये VWSC स्वतंत्र होगा।
- x. उपभोक्ता को 10 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ेगा।
- xi. जलापूर्ति प्राप्त किये जाने वाले परिसर का विवरण निम्नानुसार है:
  - 1. परिसर का वर्णन प्लॉट नं./होलिडिंग नं. ....
  - 2. जलापूर्ति का प्रयोजन एवं जल संयोजन का विवरण
    - (क) घरेलू/व्यावसायिक/अस्थायी संस्थागत
    - (ख) मीटर सहित/मीटर रहित
  - 3. आपूर्ति की मात्रा गृह जल संयोग हेतु – 10 हजार लीटर प्रतिमाह व्यावसायिक जल संयोग – 20 हजार लीटर प्रतिमाह/अस्थायी जल संयोग की अवधि एवं शुल्क (VWSC द्वारा निर्धारित)
  - 4. जोड़ी गई Fitting
    - (क) – 1/2'' के नल की संख्या:-
    - (ख) पानी रखने के टंकी की क्षमता-
  - 5. टैरिफ मासिक जल कर :-
    - (परिवर्तन किये जाने के शर्तों सहित प्रावधान)
- xii. लाइसेंस नलकार (प्लम्बर) के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फेरूल, मीटर, पाइप लाइन एवं stop cock दिखलाते हुए index plan सहित सभी फिक्सचर और Pipe line दिखाते हुए एक प्रति में नक्शा-संलग्न है।

ऊपरलिखित दिन तारीख और वर्ष के साथ उपर्युक्त दोनों पक्षों के साक्षी के रूप में नीचे अपना हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया

1. उपभोक्ता का हस्ताक्षर

उपस्थिति में

1)

2)

2. VWSC की ओर से हस्ताक्षरित

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

मोहर

उपस्थिति में

1) जल सहिया -

2) सदस्य -



शपथ पत्र का प्रपत्र

समक्ष

नोटरी पब्लिक

.....

शपथ पत्र

मैं, ..... (नाम) पिता का नाम ..... स्थायी निवासी  
गाँव ..... थाना ..... डाकघर ..... जिला ..... एवं वर्तमान  
निवासी गाँव ..... थाना ..... डाकघर ..... जिला ..... धर्म  
..... पेशा ..... शपथ पूर्वक बयान देता हूँ एवं निम्नांकित तथ्यों को घोषित करता हूँ जो मेरी जानकारी,  
सूचना एवं विश्वास के अनुसार सही है :-

1. यह कि मैंने निम्नलिखित परिसर में जल संयोग प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित किया है :-  
खाता नं. ..... प्लॉट नं. ..... गाँव ..... थाना नं. ....  
चौहद्दी ..... उ. ..... द. ..... पू. ..... प. ....
2. यह कि मैं इस परिसर का मालिक/लीज धारक/किरायाधारक हूँ।
3. यह कि मैं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ..... के द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप जल संयोग प्राप्त करूँगा तथा मासिक विपत्र का भुगतान करूँगा।
4. यह कि विपत्र निर्गत के 15 दिनों के अन्दर जल कर का भुगतान नहीं कराने पर समिति जल संयोग विच्छेद कर सकती है।
5. यह कि समिति की पाइप लाइन से लेकर मेरे परिसर के अन्दर की पाइप लाइन जब भी क्षतिग्रस्त होगी तो उसकी तुरंत मरम्मत अपने खर्च से कराऊँगा अन्यथा समिति जलापूर्ति बन्द करने/जल संयोग विच्छेद करने को स्वतंत्र होगी।
6. यह कि मैं मोटर पम्प लगाकर सीधे समिति के पाइप लाइन से पानी नहीं खींचूँगा तथा पेयजल का दुरुपयोग नहीं करूँगा।
7. यह कि समिति के अधिकृत व्यक्ति मेरे परिसर में कभी जाकर पाइप लाइन का निरीक्षण कर सकते हैं।
8. यह कि ऊपर दिए गए बयान सत्य है।

आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को ..... में शपथ पूर्वक बयान देकर हस्ताक्षर बनाया।

### शपथ कर्त्ता

शपथ कर्त्ता, जिनका पहचान श्री ..... अभिवक्ता ने किया है, ने शपथ पूर्वक बयान देकर घोषित किया है कि ऊपर वर्णित कथन सत्य तथा उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

नोटरी पब्लिक

शपथ कर्त्ता

पहचान किया गया

अधिवक्ता

ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा उपभोक्ता को जल संयोग  
निष्पादित कराने हेतु दिए जाने वाले पत्र का नमूना

पत्रांक .....

दिनांक .....

प्रेषक: अध्यक्ष सह मुखिया/उपाध्यक्ष

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति .....

पंचायत ..... प्रखंड ..... जिला .....

सेवा में,

सुश्री/श्री/श्रीमती ..... गाँव .....

टोला ..... पंचायत ..... थाना ..... जिला .....

विषय: जल संयोग निष्पादन की स्वीकृति।

महोदय,

..... ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना से जल संयोग का अनुबंध निष्पादित हो गया है/विहित प्रपत्र में शपथ पत्र समर्पित कर दिया है।

अनुरोध है कि निबंधित नलकार (प्लम्बर) से जल सहिया की उपस्थिति में जल संयोग करा लें।

जलकर के रूप में ..... रुपये प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जल सहिया को नियमित भुगतान सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जलसहिया

मुखिया सह अध्यक्ष

ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि: निबंधित प्लम्बर श्री ..... ग्राम ..... डाकघर ..... जिला ..... को सूचनार्थ अग्रसारित।

मुखिया सह अध्यक्ष

ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि: कनीय अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा ..... को सूचना अग्रसारित एवं जल सहिया को प्रेषित करते हुए कहना है कि अपने समक्ष जल संयोग कराकर, इसकी सूचना तुरंत उपभोक्ता पंजी में फेरुल के आकार, जल संयोग तिथि के साथ दर्ज की जाए।

मुखिया सह अध्यक्ष

व्यावसायिक उपयोग के लिए जल संयोग आवेदन पत्र

आवेदक  
फोटोग्राफ  
चिपकाएँ

ग्रामीण जलापूर्ति योजना का नाम -

ग्राम जल स्वच्छता समिति का नाम -

पंचायत -

प्रखण्ड

जिला

पिन कोड

(क) आवेदक का विवरण:-

नाम -

पति/पिता का नाम

निवास स्थान का पता

गाँव

टोला

डाकघर

थाना

जिला

मोबाईल नं.

ईमेल आइडी (यदि हो) पिन कोड

(ख) जिस स्थान पर जल संयोग किया जाना है, उसका विवरण का नाम

प्रतिष्ठान का नाम

पता

गाँव

टोला

डाकघर

थाना

जिला

मोबाईल नं.

ईमेल आइडी (यदि हो)

पिन कोड

(ग) किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए जलापूर्ति आवश्यक है? .....

(घ) व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आवश्यक जल की मात्रा ..... प्रतिमाह/प्रतिदिन लीटर में

(ङ) प्रतिष्ठान में जलापूर्ति के लिए लगाए गए पाइप लाइन एवं जल संयोग करने वाले निबंधित नलकार (प्लम्बर) का नाम एवं पता।

(च) जल संयोग परिसर एवं पाइप लाइन का मानचित्र नमूने के (यथा संभव ट्रेसिंग कपड़े पर) अनुसार 3 प्रति संलग्न करें -

(छ) जमीन के स्वामित्व, संबंधी अभिलेख एवं आवेदक के मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य पहचान एवं पता संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें -

(ज) यदि जमीन/परिसर किराए पर है तो जमीन के मालिक/मकान मालिक से किए गए करारनामे की छाया प्रति संलग्न करें -


आवेदक का हस्ताक्षर

## व्यावसायिक जल संयोग हेतु मानचित्र का नमूना

प्रतिष्ठान का नाम -  
प्रखण्ड

गाँव  
जिला

पंचायत



निबंधित नलकार (प्लम्बर) का हस्ताक्षर  
निबंधन संख्या -  
वैधता अवधि

आवेदक का हस्ताक्षर

## अस्थायी जल संयोग प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदक  
फोटोग्राफ  
चिपकाएँ

ग्रामीण जलापूर्ति योजना का नाम -

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का नाम -

पंचायत

प्रखण्ड

जिला

(क) आवेदक का विवरण:-

आवेदक का नाम

पति/पिता का नाम

निवास स्थान का पता

गाँव

टोला

डाकघर

थाना

जिला

मोबाईल नं.

ईमेल आइडी (यदि हो)

(ख) जल संयोजन स्थल विवरण:-

प्लॉट संख्या

खाता संख्या

राजस्व गाँव

थाना संख्या

टोला

पंचायत

प्रखण्ड

जिला

(ग) जिस स्थान पर जल संयोजन किया जाना है वहाँ से जलापूर्ति पाइप लाइन दूरी- ..... मीटर

(घ) दैनिक वांछित जलापूर्ति की मात्रा - लीटर

(ङ) अस्थायी जल संयोग प्राप्त करने का कारण -

(च) अस्थायी जल संयोग प्राप्त करने की अवधि -

(छ) जलापूर्ति पाइप लाइन लगाने वाले एवं जल संयोग करने वाले निबंधित नलकार (प्लम्बर) का नाम एवं पता -

(ज) आवेदक अपने मतदाता पहचान पत्र अथवा कोई मान्य पहचान एवं पता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

निबंधित नलकार (प्लम्बर) का हस्ताक्षर

आवेदक का हस्ताक्षर

निबंधन संख्या

वैधता अवधि

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति .....

पंचायत

प्रखण्ड

जिला

पाइप जलापूर्ति योजना का नाम

पृष्ठ संख्या .....

जल संयोजन पंजी

उपभोक्ता संख्या	उपभोक्ता का नाम	उपभोक्ता के पिता का नाम	गाँव/टोला	फेरुल का आकार	अध्यक्ष का हस्ताक्षर	जल संयोग की तिथि	जल सहिया का हस्ताक्षर

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

जल कर विपत्र

विपत्र निर्गम तिथि .....

1. उपभोक्ता का नाम :- .....
2. उपभोक्ता संख्या :- .....
3. विपत्र की अवधि (महीने का नाम) :- .....

(क) मीटर द्वारा जलापूर्ति होने की स्थिति में दर का निर्णय VWSC द्वारा किया जायगा।

(ख) 15 दिनों में भुगतान नहीं होने पर जल संयोग विच्छेद किया जा सकता है।

मुखिया सह अध्यक्ष/जल सहिया



पृष्ठ संख्या .....

प्रखण्ड

रसीद सं./तिथि:-

:: 31 ::

## ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

गाँव ..... थाना नं. .... पंचायत ..... प्रखण्ड ..... जिला .....  
पत्र संख्या ..... दिनांक .....

सेवा में,

सुश्री/श्रीमती/श्री ..... पति/पिता .....  
ग्राम ..... डाकघर ..... पंचायत .....  
प्रखण्ड ..... जिला ..... पिन कोड .....

उपभोक्ता संख्या ..... दिनांक .....

### विषय: जल संयोग विच्छेद किए जाने की पूर्व सूचना

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा माह ..... से ..... तक कुल रुपए ..... कर जलकर का भुगतान  
नहीं किया गया है।

अनुबंध की शर्त के अनुसार विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक ..... तक कुल ..... रु.  
भुगतान सुनिश्चित करें अन्यथा आपका जल संयोग विच्छेद पत्र निर्गत की तिथि से ..... दिनों  
के पश्चात् कर दिया जाएगा।

इसे अंतिम सूचना समझें।

विश्वासभजन,

जल सहिया का हस्ताक्षर

मुखिया सह अध्यक्ष/उपाध्यक्ष  
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति



जल के संसाधन सीमित हुए,  
गंगा-यमुना अब दूषित हुए,

जल को अब न व्यर्थ गंवाएँ,  
इसकी हर-इक बूंद बचाएँ,

जीवन का आधार है जल,  
इससे ही होगा सुंदर कल।



झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

राँची, झारखण्ड